कार्यालय : वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Phone : Off – 06582-256366; E-mail-sarandadfo@gmail.com

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 2678 / चाईबासा, दिनांक 16.12.2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर।

विषय :– गुवा लिंक पथ MDR (187)बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन पथ क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण,मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– झारखण्ड सरकार, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रॉची के पत्रांक वनभूमि – 37 / 2016 –5229 व0प0 दिनांक 13.122017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रॉची के प्रासंगिक पत्र से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानो के तहत् गुवा लिंक पथ MDR (187)बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन पथ क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण,मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 2.356 हे0 के लिए वनभूमि का अपयोजन स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से सशर्त्त दी गई है। स्वीकृत्यादेश की शर्त्त संख्या–2 के अनुसार अपयोजित वनभूमि का NPV की राशि एकमुश्त कैम्पा खाते में जमा करनी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2008 में वनभूमि का N.P.V के लिए निर्धारित दर तालिका के अनुसार विषयगत गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक के लिए अपयोजन स्वीकृत 2.356 हे0 वनभूमि की N.P.V की संगणना निम्नवत की जाती है :–

कम संख्या	प्रस्तावित निर्माण / संरचना	रकवा	एन0पी0वी0की दर प्रति हे0	राशि(रूपये में)
1	गुवा लिंक पथ MDR (187)बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक	2.356 ha.	1043000/-	2457308/-
			योगः–	**2457308/-**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन पथ क्षेत्र वाले पथ के अपयोजन स्वीकृत 2.356 हे0 वनभूमि का N.P.V, की संगणित राशि 24,57,308/– (चौबिस लाख सन्तावन हजार तीन सौ आठ) रूपये मात्र transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account No- CAF Jharkhand -SB-01025212, Corporation Bank,C.G.O. Compex, Phase –1, Lodhi Road ,New Delhi-110003 में सीधे जमा कर रसीद इस कार्यालय में जमा किया जाय। N.P.V. की संगणित राशि में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो बढ़ी हुइ राशि का मांग–पत्र के अनुरूप भुगतान/जमा करने के संबंध में वांछित वचनवद्धता भी समर्पित करें। स्वीकृत्यादेश में वर्णित अन्य शर्त्तो का अनुपालन प्रतिवेदन भी 7–7 प्रतियों में समर्पित की जाय ताकि अन्तिम स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,

16/12/17

वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल,चाईबासा।